राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

कमांकः डीसी/विधि/2014/16 दिनांक 24-01-14

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :– सरकार बनाम सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर व अन्य
प्रकरण संख्या 838/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण सरकार बनाम सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर व अन्य प्रकरण संख्या 838/2013 में माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.09.2013 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर, समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान की ई–मेल आईडी पर अपलोड करने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (9)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–6, जयपुर महानगर।

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार, आर.जे.एस.
आपराधिक प्रकरण संख्या : 838/2013 (2240/2003)

सरकार

.... बनाम ....

1. मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर। जरिये मालिक श्री नेमीचन्द कुमावत पुत्र स्व0 श्री सूरजमल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. नेमीचन्द कुमावत पुत्र स्व0 श्री सूरजमल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर। मालिक मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
3. मोहित भसीन पुत्र श्री एन.एल.भसीन, निवासी ए–53, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, झोटवाड़ा, जयपुर। योग्य व्यक्ति मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पता कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

..... अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 27(डी) व 28(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम

उपस्थितः
सहायक लोक अभियोजक वास्ते सरकार।
श्री पूनमचन्द भण्डारी, श्री एस.एल.गुप्ता, एडवोकेट वास्ते अभियुक्तगण।

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
जेजेज, सीजेएम/एसीजेएम कोर्टस
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

:: निर्णय ::

दिनांकः 18.09.2013

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इसप्रकार है कि परिवादी डॉ0 मनोज त्रिपाठी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर की ओर से श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियेागी को दिनांक 15.09.2000 को एक पत्र मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के ऑथोराईज्ड सिग्नेटरी जी.पी.भार्गव का प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया कि मोहित भसीन मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई कम्पनी में कार्य नहीं कर रहे है। परन्तु दवा निर्माता कम्पनी मै0 सोलारेस थेरापेटिक प्रा.लि., अंधेरी ईस्ट,

मुम्बई में दिनांक 14.11.98 से अब तक लगातार दवा प्रतिनिधि के रूपमें कार्यरत है। अभियोगी ने दिनांक 15.09.2000 को अभियुक्त संख्या 1 फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जयपुर स्टोर का निरीक्षण अभियुक्त संख्या 2 नेमीचन्द कुमावत एवं फार्मासिस्ट मनीष भसीन की उपस्थिति में किया। निरीक्षण के समय गवाह संजय कुमार गोयल भी उपस्थित थे। तो पाया कि लाईसेन्स जारी होने की तिथी दिनांक 19.06.97 के बाद लाईसेन्सी फर्म लगातार औषधियों के कय विकय का व्यवसाय कर रही है। नेमीचन्द कुमावत ने स्वीकार किया कि दिनांक 14.11.98 से 30.12.99 तक लगातार फार्मासिस्ट मोहित भसीन के सुपरविजन में औषधियों का कय विकय किया गया है। मौके पर 9 कय बिल जब्त किये व दो विकय बिल बुकें जब्त की गई, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित है कि दिनांक 14.11.98 से 01.04.2000 तक सभी प्रकार की औषधियों का कय विकय किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति व फॉर्म 16 की प्रति अभियुक्त संख्या 2 को मौके पर दी गई। अभियोगी ने पत्र दिनांक 15.09.2000 द्वारा मोहित भसीन से इस बाबत पूछताछ की, तो उन्होने पत्र दिनांक 15.09.2000 द्वारा सूचित कि वह दिनांक 14.11.98 से दिनांक 01.04.2000 तक की समयावधि में निर्माता फर्म मैसर्स सोलारेस थेराप्यूटिक प्रा.लि., अंधेरी ईस्ट, मुम्बई के कार्य को करता था तथा साथ ही मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टौर पर भी सेवायें देता था। अभियुक्त संख्या 1 फर्म की कार्यालय पत्रावली में उपलब्ध अभियुक्त संख्या 3 मोहित भसीन के शपथ पत्र दिनांक 24.05.97 में उसने ब्यान दिया कि उसने फर्म पर पूर्णकालिक क्वालिफाईड व्यक्ति की हैसियत से एक हजार रूपये मासिक वेतन पर नौकरी करना शुरू किया है। अभियोगी द्वारा फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का निरीक्षण दिनांक 19.06.2000 को मालिक नेमीचन्द कुमावत की उपस्थिति में किया गया था। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में श्री कुमावत द्वारा शिड्यूल-एच व अन्य प्रकार की औषधियों की बिकी स्वयं किये जाना पाया गया व यह भी पाया गया कि मरीजों को औषधियों के बिल भी जारी नहीं किये जाते है। जब्तशुदा रिकार्ड की अभिरक्षा हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर के यहां जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2000 आवेदन किया गया, जिसपर न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.09.2000 पारित किया। नियंत्रण प्राधिकारी एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर ने आदेश कमांक: डी.सी./सेल/जयपुर 2000/1030 दिनांक 18.10.2000 द्वारा अभियोगी को अभियुक्तो के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अनुदेशित किया। जिसपर अभियुक्तगण के द्वारा आरोपित अपराध कारित किया जाना वर्णित करते

हुए परिवाद पेश किया गया।

परिवादी की ओरसे परिवाद पेश होने पर अभियुक्तगण को तलब किया गया तथा अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर प्रीचार्ज साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 मनोज त्रिपाठी के बयान लेखबद्ध करवाए गए। तदुपरान्त बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 27(डी) व धारा 28(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियुक्तगण के द्वारा आरोप से इन्कार किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.2 देवकृष्ण श्रृंगी के बयान लेखबद्ध करवाए गए। इस स्टेज पर अभियुक्तगण की ओर से स्वैच्छया लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मेगा लोक अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पृथक से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर सहायक लोक अभियोजक द्वारा साक्ष्य अभियोजन समाप्ती की घोषणा की गई। अभियोजन साक्ष्य समाप्ती उपरान्त अभियुक्तगण के बयान मुलजिम लिये गये, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनो को सही होना बताते हुए स्वैच्छया जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन कर अपनी गलती के लिए माफी चाही एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन साक्षीगण के कथनो एवं स्वयं अभियुक्तगण द्वारा की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित हैं, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से विरोध करते हुए बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्तगण के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में परिवीक्षा का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

मैने विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के सुसंगत निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है, कि – "क्या दिनांक 15.09.2000 को औषधि निरीक्षक द्वारा सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के निरीक्षण पर पाया कि मेडिकल स्टोर के मालिक नेमीचन्द ने मोहित भसीन को नौकरी पर रखकर दवाईयों का विक्रय करवाया। जबकि मोहित भसीन मैसर्स सोलोरेस थेराप्यूटिक प्रा.लि. में कार्यरत था। इसप्रकार सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर व उसके मालिक ने मोहित भसीन से अनाधिकृत रूपसे दवाईयों का विक्रय करवाया तथा औषधि निरीक्षक द्वारा मांगने पर दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये और सूचनाएं नहीं दी ?"

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु हेतु साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में परीक्षित करवाये गये साक्षी पी. ड. 1 मनोज त्रिपाठी का बयान हैं कि दिनांक 15.09.2000 को वह औषधि निरीक्षक, जयपुर के पद पर नियुक्त था। उसका गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी.1 है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी.1/ए है, जिसके अनुसार वह समस्त राजस्थान राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया है। दिनांक 15.09.2000 को उसे मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी. पी.भार्गव का पत्र प्रदर्श पी.2 प्राप्त हुआ, जिसमें यह तथ्य बताया गया था कि मोहित भसीन दिनांक 14.11.98 से आज तक मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इण्डस्ट्रीज से संबंधित अन्य कम्पनी मैसर्स सोलारेस स्यूटिकल्स प्रा.लि. अंधेरी ईस्ट मुम्बई में मेडीकल सेल्स रिप्रजेन्टेटिव के पद पर कार्यरत है। इनके वेतन आदि का विवरण साथ में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। जो प्रदर्श पी.3 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। यह पत्र प्रदर्श पी.2 उसके पत्र दिनांक 27.06.2000 प्रदर्श पी.4 के कम में दिया गया था। प्रदर्श पी.4 कॉर्बन प्रति है, असल कम्पनी को दी गई थी, इसपर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह मनोज त्रिपाठी का यह भी बयान है कि दिनांक 15.09.2000 को ही उसके द्वारा अभियुक्त फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, झोटवाड़ा, जयपुर का निरीक्षण किया गया। फर्म के मालिक नेमीचन्द कुमावत व फार्मासिस्ट मनीष भसीन का निरीक्षण किया गया। गवाह संजय कुमार गोयल उपस्थित थे। दौराने निरीक्षण पाया गया कि मोहित भसीन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूपमें फर्म पर 19.06.97 से 01.04.2000 तक अनुमोदित थे। उनका नाम 1.4.2000 से हटाया जाना पाया गया।

मुख्य प्रतिलिपिक (प्रतिलिपि शाखा) सीजेएम/ऐसीजेएम कोर्टस जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर

फर्म उक्त अवधि में लगातार औषधियों के क्रय विक्रय का व्यवसाय मोहिन भसीन के सुपरविजन में कर रही थी तथा दिनांक 30.12.99 से 26.04.2000 तक कोई विक्रय जरिये बिल नहीं किया गया। जैसा कि पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.06.2000 में अंकित है। मौके पर 9 प्रकार के क्रय बिल, जिनके द्वारा प्रमाणित होता है कि दिनांक 14.11.98 से 01.04.2000 तक औषधियों का क्रय किया गया है, को जब्त किया गया तथा दो केश बिल बुक संख्या 2001 दिनांक 03.12.98 से संख्या 2400 दिनांक 27.04.99 एवं संख्या 3201 दिनांक 15.12.99 संख्या 3600 जिसमें अंतिम बिल संख्या 3535 दिनांक 14.09.2000 जारी पाया गया, इनकी कॉर्बन प्रति भी मौके पर जब्त की गई। इन दोनो बिल बुको एवं 9 क्रय बिलो का विवरण फॉर्म नम्बर 16 पर अंकित है। उक्त गवाह मनोज त्रिपाठी का यह भी बयान है कि फर्म मालिक ने पूछताछ करने पर बताया कि सभी विक्रय बिल उनके द्वारा स्वयं की ही हस्तलिपि में जारी किये गये है और सभी कॉर्बन प्रतियों पर उनके हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी.5 है, जिसपर उसके, नेमीचन्द व मनीष भसीन के हस्ताक्षर है। दो रजिस्टर जब्त किये थे, वे आर्टीकल 1 व 2 है, जिनपर भी नेमीचन्द व मनीष भसीन के हस्ताक्षर है। मौके पर मिली दवाईयों के बिलो को फॉर्म नं.16 में जब्त किया, जो प्रदर्श पी.6 है, जिसपर उसके, नेमीचन्द व मनीष भसीन के हस्ताक्षर है। मौके पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्म 16 की एक प्रति नेमीचन्द ने प्राप्त की थी, जिसकी रसीद प्रदर्श पी.5 पर प्राप्ती रसीद व नेमीचन्द के हस्ताक्षर है। कुल 9 दवाईयों के क्रय बिल आर्टीकल 3 लगायत 11 है, जिनपर उसके, नेमीचन्द व मनीष भसीन के हस्ताक्षर है। उक्त गवाह मनोज त्रिपाठी का यह भी बयान है कि उसके द्वारा मोहित भसीन को एक पत्र प्रदर्श पी.6 दिया गया, जिसपर उसके हस्ताक्षर है व मोहिन भसीन की रसीद है। जिसके द्वारा मोहित भसीन को जाहिर करने के लिए कि वे फार्मासिस्ट के रूपमें मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पर दिनांक 19.06.97 से 01.04.2000 तक कार्यरत रहे और साथ ही मैसर्स सोलारेस्ट प्रा.लि. मुम्बई में मेडीकल रिप्रजेन्टेटिव के रूपमें दिनांक 14.11.98 से अब तक कार्यरत रहे, इस बाबत अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया कि आप मैसर्स सूरज मेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. में नाम मात्र का कार्य कर रहे है। उसके इस पत्र का जवाब प्रदर्श पी.7 मोहित भसीन ने दिया, जो उसे प्राप्त हुआ था। जिसमे उसने स्वीकार किया कि वे दोनो जगह पर दिनांक 14.11.98 से 01.04.2000 तक कार्यरत रहा है। इसपर प्रदर्श पी.7 पर उसके व मोहित भसीन के हस्ताक्षर है। उक्त गवाह मनोज त्रिपाठी का यह भी

मुख्य प्रतिलिपिक
(जेजे.एम./एसीजेएम अदालत)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

बयान है कि उसके द्वारा दिनांक 19.06.2000 को भी फर्म सूरज मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर का निरीक्षण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 है, जिसपर उसके, नेमीचन्द व मोहित भसीन के हस्ताक्षर है। इस रिपोर्ट में यह अंकन है कि दिनांक 30.12.99 से 29.04.2000 तक कोई विक्रय जरिये बिल नहीं किया गया व अन्य तथ्य अंकित है। जब्तशुदा आर्टीकल की अभिरक्षा के आदेश प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा दिनांक 16.09.2000 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर के न्यायालय में पेश होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो प्रदर्श पी.9 है, इसपर न्यायालय का आदेश सी से डी है। जिसमें बिल बुको व जब्तशुदा रिकार्ड को उसके पास रखने के आदेश दिये गये है। समस्त कार्यवाही की सूचना समय समय पर नियंत्रण प्राधिकारी एवं औषधि निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर को दी गई थी। जिसके आधार पर अभियुक्तो के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी, जो प्रदर्श पी.10 है। इसपर औषधि नियंत्रण प्राधिकारी पी.एन.सारस्वत के हस्ताक्षर है, जिन्हे वह पहचानता है। प्रदर्श पी.10 पर उसके भी हस्ताक्षर है। मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर जयपुर के संविधान व अन्य दस्तावेज औषधि अनुज्ञापन अधिकारी, जयपुर से प्राप्त हुई, जो प्रदर्श पी.11 है। संविधान की प्रति प्रदर्श पी.12 है। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद उसने मैसर्स सूरज मेडिकल स्टोर, कुमावत कॉलोनी व नेमीचन्द कुमावत व मोहित भसीन के विरूद्ध धारा 18(सी) व 27(डी) के तहत न्यायालय में इस्तगासा पेश किया, जो प्रदर्श पी.13 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है।

मुख्य प्रतिलिपिक (प्रतिलिपि शाखा) सीजेएम/एसीजेएम कोर्ट्स जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर

गवाह पी.ड.2 देवकृष्ण श्रृंगी का बयान है कि दिनांक 18.12.2000 को वह लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक जयपुर के पद पर तैनात था। प्रदर्श पी.11 के जरिये उसने डॉ. मनोज त्रिपाठी औषधि निरीक्षक जयपुर को फर्म मैसर्स सूरज मैडिकल एण्ड जनरल स्टोर, कुमावत कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर के संविधान एवं कारण बताओ नोटिस तथा लाईसेन्स सम्बन्धी जानकारी प्रेषित की थी, प्रदर्श पी.11 पर उसके हस्ताक्षर है। इस पत्र के साथ उसने 14 दस्तावेज प्रमाणित करके भिजवाये थे। प्रदर्श पी.12 राज्य सरकार द्वारा मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के मामले में की गई अपील का निर्णय है, जो दो पृष्ठो में है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.13 फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के मालिक नेमीचन्द कुमावत द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब की प्रमाणित प्रति है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.14 मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल

स्टोर को दिया गया कारण बताओ नोटिस की कार्यालय प्रमाणित प्रति है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.15 फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के मालिक नेमीचन्द कुमावत द्वारा फार्मासिस्ट बदलने हेतु दिये गये आवेदन की प्रमाणित प्रति है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.16, पी.17 व पी.18 फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर कुमावत कॉलोनी जयपुर को जारी किये गये खुदरा ड्रग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रतियां है। प्रदर्श पी.16 कवरिंग लेटर है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.17 व पी.18 खुदरा ड्रग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रतियां है, जिनपर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह देवकृष्ण श्रृंगी का यह भी बयान है कि प्रदर्श पी.19 फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के मालिक नेमीचन्द कुमावत द्वारा दिये गये शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतियां है, जो तीन पृष्ठो में है, जिनपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.20 फर्म मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर पर नियुक्त किये गये फार्मासिस्ट मोहित भसीन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति है, जो दो पृष्ठ में है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.21 मोहित भसीन फार्मासिस्ट को राजस्थान फार्मेसी कांउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन संख्या 11855 की प्रमाणित प्रति है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी.2 मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इण्डस्ट्रीज द्वारा डॉ0 मनोज त्रिपाठी को प्रेषित जवाब की प्रति है, जो उसने उस दिन उनके कार्यालय में न होने के कारण प्राप्त की थी, जिसपर उसके लघु हस्ताक्षर है। जिसके साथ प्रदर्श पी.3 संलग्न था।

इसप्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षीगण के कथनो से अभियोजन कहानी की ताईद हुई है। इसके अतिरिक्त स्वयं अभियुक्तगण के द्वारा भी स्वैच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व स्वयं अभियुक्तगण के द्वारा स्वैच्छयापूर्वक की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 27(डी) व 28(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध धारा 27(डी) व 28(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप अभियुक्तगण (1) नेमीचन्द कुमावत पुत्र स्व0 श्री सूरजमल

कुमावत, जाति कुमावत, निवासी कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर। मालिक मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर व (2) मोहित भसीन पुत्र श्री एन.एल.भसीन, निवासी ए–53, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, झोटवाड़ा, जयपुर। योग्य व्यक्ति मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पता कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर को आरोपित अपराध धारा 27(डी) व 28(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपो में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(राजेश कुमार)

सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान वकील अभियुक्तगण का तर्क रहा हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा स्वैच्छयापूर्वक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया गया हैं तथा एक लम्बी अवधि से अभियुक्तगण अन्वीक्षा भुगत रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी भी नहीं है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओरसे उक्त तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया गया। एपीपी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है एवं मौजूदा प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा स्वैच्छयापूर्वक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर उसे परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 का फायदा देते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा जाना एवं साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

परिणामस्वरूप अभियुक्तगण (1) नेमीचन्द कुमावत पुत्र स्व0 श्री सूरजमल

कुमावत, जाति कुमावत, निवासी कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर। मालिक मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर व (2) मोहित भसीन पुत्र श्री एन.एल.भसीन, निवासी ए–53, कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, झोटवाड़ा, जयपुर। योग्य व्यक्ति मैसर्स सूरज मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पता कुमावत कॉलोनी कॉर्नर, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर को आरोपित अपराध धारा 27(डी) व 28(ए) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपो में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि यदि प्रत्येक अभियुक्त धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत पांच–पांच हजार रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि का एक–एक जमानतनामा इस न्यायालय के सन्तोषप्रद इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दे कि वह आगामी एक वर्ष की समयावधि में परिशान्ती एवं सदाचरण बनाये रखेगे तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगे व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित आयेगे एवं साथ ही यदि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन व्यय की राशि 2000–2000 रूपये जमा करवा दी जावे, तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता हैं कि वह धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में पांच–पांच हजार रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि का जमानतनामा भी पेश कर तस्दीक करावे। प्रकरण में जब्तशुदा आर्टीकल्स बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जाने का आदेश दिया जाता है।

-sd-
(राजेश कुमार)
अपर सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या-6
जयपुर महानगर

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2013 को लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रति-हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
(... सीजेएम/एसीजेएम कोर्टस)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर
11-10-13

-sd-
(राजेश कुमार)
अपर सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या-6
जयपुर महानगर